- अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको परेशान करता है या धमकाता है तो वो गलत आचरण का आरोपी है ।
- अगर कोई पुलिस अधिकारी गलत आचरण करता है तो मुंबई पुलिस आधिनियम के अंतर्गत उस पर कारावाई की जा सकती है और उसे सस्पेंड किया जा सकता है ।
- औरतों और बच्चों को सुर्यास्त के बाद और सुर्योदय के पहले गिरफ्तार नही किया जा सकता ।
- किसी महिला को सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी के व्दारा गिरफ्तार किया जा सकता है ।
- औरतों को विशेष तौर पर मुफ्त कानुनी सहायता पाने का अधिकारी है ।
- औरतों को ऐसी हवालात में नहीं रखा जा सकता जिसमें पुरुष कैदी हो ।

SANKALP REHABILITATION TRUST

संकल्प रिहॅबिलिटेशन ट्रस्ट

ॲडमिन ऑफीस

पहिली मंजिल, एस.एस.बेंगाली म्युनिसिपल स्कूल,
ठाकूरद्वार रोड, चर्नी रोड (पूर्व),
मुंबई - ४०० ००२. टेलिफोन नं. ६५२५२६८५
Website : www.sankalp.org.in
e-mail : sankalp.trust@gmail.com

With assistance of MDACS

ड्रग युजर को भी अधिकार है।

पोलिस व्दारा गिरफ्तारी पर आपके कानुनी अधिकार ।

- आपको अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है ।
- आप किसी एक रिश्तेदार, दोस्त या जानकार व्यक्ति से संपर्क कर अपनी गिरफ्तारी की जानकारी दे सकते है । आप ये भी बता सकते है की आपको गिरफ्तारी के बाद कहाँ रखा जा रहे है ।
- आप अपने वकील से सलाह मशविरा ले सकते है और अदालत में उनकी सेवाऐं प्राप्त कर सकते है ।
- अगर आप वकील की सेवाऐं प्राप्त करने में अर्थिक रुप से सक्षम नही है तो आपको मुफ्त कानुनी सहायता की माँग करने का अधिकार है । आपके मॉग करने पर मजिस्ट्रेट व्दारा आपको वकील की सेवाऐं प्रदान की जाएगी ।
- आपको हथकडी नहीं पहनाई जा सकती और आपके साथ मारपीट नहीं की जा सकती है, अगर आप गिरफ्तारी में रुकावट पैदा करते हैं । तो पुलिस हर आवश्यक तरीके का इस्तेमाल कर सकती हैं ।

- आपको गिरफ्तारी के बाद २४ घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तृत किया जाना चाहिए ।
- अगर आप किसी जमानती अपराध के अंतर्गत गिरफ्त किये गये है तो आप हवालात से जमानात पे छूट सकते हैं ।
- अगर आपको किसी गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया हैं । तो आप मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत की अर्जी कर सकते है ।
- गिरफ्तारी के तुरंत बाद आपकी मेडिकल जाँच कराई जानी चाहिए । अगर आपके शरीर पे कोई चोट है तो उसका रिकार्ड बनाना चाहिए ।
- आप गिरफ्तारी के दौरान हर ४८ घंटे के अंतराल पर अपनी मेडिकल जाँच की माँग कर सकते है ।
- पुलिस व्दारा पुछताछ के वक्त आप अपने वकील की उपस्थिती की माँग कर सकते है ।
- आपकी गिरफ्तारी का ब्यौरा एक रजिस्टर में रिकार्ड किया जाना चाहिए गिरफ्तारी के मेमो पर एक गवाह और आपके हस्ताक्षर होने चाहिए ।

- अगर आप अशिक्षित है तो पुलिस अधिकारी को, मेमो आपके व्दारा समझी जाने वाली भाषा में पढकर आपको समझाना चाहिए ।
- अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते है और उसके खिलाफ विभागीय कारावाई भी शुरु करने का अनुरोध कर सकते है ।
- पुलिस अधिकारी कानुन के अंतर्गत काम करने को बाध्य है ।